

कार्यालय अंचल अधिकारी, जयनगर कोडरमा

विविध वाद सं०.....८०...../2024-25

राजगीर पासवान

पिता-स्व० तिलक पासवान

ग्राम-विशोडीह, थाना-जयनगर

जिला-कोडरमा।

20.03.25

आवेदक राजगीर पासवान पिता-स्व० तिलक पासवान, ग्राम-विशोडीह, थाना-जयनगर, जिला-कोडरमा द्वारा आवेदन दिया गया है कि मौजा-विशोडीह, खाता नं०- 09 प्लॉट सं०-35 वगैरह, कुल रकबा-7.81 ए० भूमि की जमाबंदी पंजी II के पृष्ठ सं० 9/1 पर दर्ज है। परन्तु जमाबंदी ऑनलाईन में दर्ज नहीं है। आवेदक द्वारा उक्त जमाबंदी को ऑनलाईन में दर्ज करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में हल्का राजस्व उपनिरीक्षक एवं प्रभारी अंचल निरीक्षक से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। आम इस्तेहार निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 28/03/25 को उपस्थापित करे।


अंचल अधिकारी
जयनगर।

28.03.25

अभिलेखित उपस्थापित। द्वारा 28 मार्च 25 को नामित-
प्रतिवेदन प्राप्त/किसी व्यक्ति द्वारा आवेदन दर्ज
नहीं किया गया। हल्का राजस्व उप निरीक्षक
उत्पत्ता निरीक्षक के द्वारा प्रतिवेदन किया गया
है कि मौजा-विशोडीह धाना नं०-48 के अन्तर्गत खाता
नं०-09 कुल 7.76 ए० भूमि पंजी II के पृष्ठ
संख्या 9/1 में जयराज कुसाय मारा पुन कुसाय
के नाम से जमाबंदी दर्ज है, भूमि रकबा है, (का०)
7.59 ए० अन्तर्गत दर्ज है।

आवेदन दस्तावेज अप्रति,
प्रमाणित करने एवं प्रमाण पत्र के आधार पर
प्रमाणित नं. 01 (फॉर्म संख्या 35 प्रमाणित
करकर 7.76 एकड़ भूमि का online प्रमाणित
कर किया जा सकता है।

हल्का दागा-0 उपनिरीक्षक/अंश
निरीक्षक के जॉयंट प्रमाणित एवं अनुमति के
आधार पर भौगोलिक विभागीय दागा नं. 48 के
अनुसार दागा (संख्या-09 फॉर्म-35 प्रमाणित करकर
7.76 एकड़ की ऑनलाइन प्रमाणित प्रमाणित
दस्तावेज बना हुआ दस्तावेज के साथ ही माध्यम
कार्ड की सुविधा की जाती है।

44
28/03/24